15

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDIC

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

SPECIAL ADHESIVE

11 OCT 2006

राजस्थान RAJASTHAN A 147361

|1|

|1| प्रलेख का प्रकार — विक्रय-पत्र।

|2| विक्रेतागण के नाम — कुंभाराम, त्रिलोकाराम पुत्रगण दानाराम उम्र 38, 36 वर्ष जाति जाट निवासीगण रामपुरा (लोसल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

|3| क्रेत्री संस्था का नाम — सरदार पटेल शैक्षणिक एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर जरिये सचिव [अरविन्द भूकर] ।

|4| विक्रयाधीन संपदा — वाके ग्राम लोसल की तन में अवस्थित भूमि ख. नं. 1626 रकबा 2.46 है. बा. तृ. में से 0.34 है. भूमि जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस की फोटो में बरंग सुर्ख ब अक्षर ए, बी, सी व डी से प्रदर्शित किया गया है, संपूर्ण का बेचान। ...2....

त्रिलोकाराम

इस दस्तावेज में ......6.....पृष्ठ है।
यह पृष्ठ सं. ....1..........है।

कुंभाराम

उप-पंजियक
दांतारामगढ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND

रु.1000 Rs.1000

INDIA

11 OCT 2006

राजस्थान RAJASTHAN A 147362

|5| विक्रय राशि – 86,000/– रूपये अर्के ही छियासी हजार रूपये मात्र।

|6| मुद्रांक शुल्क – 5,600/–रूपये किता 7 दिनांकित 15/10/2006

|7| विशद् विवरण :–

जो कि वाके ग्राम लोसल की तन में अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 1626 रकबा 2.46 है. बा. तृ. में से 4/5 हिस्से की खातेदारी त्रिलोकाराम पुत्र दानाराम व 1/5 हिस्से की खातेदारी कुभांराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासीगण रामपुरा (लोसल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के नाम से दर्ज है, जिसके हम एक मात्र खातेदार व काश्तकार है, उक्त वर्णित विक्रयाधीन भूमि हर प्रकार के ऋण–भार एवं दोष आदि से पूर्णतया मुक्त एवं पवित्र है तथा नियमानुसार बेचान किये जाने में बाधा का कोई कारण नही है।

उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड बारानी दर्ज है , परन्तु मौके पर कुछ अर्से से पूर्णतया दो फसली चाही काश्त हो रही है, जो ग्राम आबादी से करीबन आधा – एक कि. मी. की दूरी पर व रामपुरा जाने वाली सडक के

...3.....

इस दस्तावेज में......6.....पृष्ठ है।
यह पृष्ठ सं.......2.........है।

त्रिलोकाराम

कुम्भाराम

उप-पंजीयक
दांतारामगढ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

11 OCT 2006

राजस्थान RAJASTHAN

A 147363

पास में अवस्थित है, इस भूमि के आसपास कोई औद्योगिक एव वाणिज्यिक क्षेत्र नहीं है, इस भूमि के आसपास की दो फसली चाही भूमि का बाजार मूल्य 2,40,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर के लगभग है।

उक्त वर्णित भूमि ख. नं. 1626 रकबा 2.46 है. बा. तृ. में से हमने 0.34 है. भूमि, जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति में बरंग सुर्ख ब अक्षर ए. बी, सी व डी से प्रदर्शित किया गया है, संपूर्ण को घरेलु कार्यवश अति आवश्यकता होने की वजह से बेचान करने का निश्चय कर मुताबिक निश्चय के 2,53,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर दो फसली चाही भूमि के हिसाब से उक्त विक्रयाधीन 0.34 है. भूमि संपूर्ण को कुल मुबलिग 86,000/– रूपये अक्षरे ही छियासी हजार रूपये मात्र की एवज में सरदार पटेल शैक्षणिक एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, को बेचान कर दी है तथा बेचान की सम्पूर्ण राशि हम विक्रेतागण / निष्पादनकर्तागण ने पूर्व में ही नगद प्राप्त कर ली है तथा विक्रीत भू–संपदा का कब्जा मौके पर इस ख. नं. में उत्तरी साईड में सीमा के सहारे– सहारे 20 फुट चोडा रास्ता छोडकर, रास्ते से दक्षिण में इस ख. नं. के उत्तरी पूर्वी कोने में जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति में ब अक्षर ए.

....4.....

तिलोकाराम

इस दस्तावेज में......6....पृष्ठ है।
यह पृष्ठ सं.........3..........है।

कुरणाराम

उप-पंजियक
दांतारामगढ़

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

राजस्थान RAJASTHAN

147364

बी, सी व डी से प्रदर्शित किये गये भू–भाग के रूप में ब जरिये सचिव मालिकाना, काबिजाना संभला दिया है, तथा हमने हमारा कब्जा हटा लिया है, अब उक्त विक्रीत भू–संपदा से हमारा व हमारे वारिशानो, मुखत्यारो, स्थापन्नों आदि का कोई हक–हिस्सा, लेना–देना व वास्ता नहीं रहा है।

अब क्रेत्री संस्था उक्त वर्णित विक्रीत 0.34 है. भूमि संपूर्ण को उक्तानुसार राजस्व–रिकार्ड आदि में अलग से बटा नम्बर डलवाकर अपने नाम से दर्ज करावें, उक्त विक्रीत भूमि जिसे मार्क ए, बी सी व डी से प्रदर्शित किया गया है, को नक्शा ट्रेस में तरमीम करावें, स्वय काश्त एवं उपयोग तथा उपभोग में लेवें, चाहे जिसके पक्ष में रहन एवं बेचान आदि करें, इसके लिए पूर्णतया सक्षम व अधिकारी है। उक्त विक्रीत भूमि के उत्तरी ओर अवस्थित रास्ते से होकर स्वयं विक्रेतागण, दीगर क्रेत्री संस्था स्वयं एवं आम जन आने–जाने के लिये तथा इस रास्ते को दोनो पक्ष जब चाहे राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में रास्ते के रूप में दर्ज कराने के लिये स्वतंत्र रहेगें।

....5.....

19

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

1 OCT 2008

राजस्थान RAJASTHAN

A 147365

|5|

यह विक्रय–पत्र आज हमने हमारी पूर्ण सचेत अवस्था में बिना किसी नशे–पत्ते व बिना किसी नाजायज दबाब के स्वेच्छा पूर्वक स्टाम्प कीमती 5,600/– रूपयो पर लिपिबद्ध करा दिया है, जो सही व सत्य है, जो सनद एवं प्रमाणित रहे तथा वक्त जरूरत पर काम आवें।

नोटः– इस प्रलेख के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति इस प्रलेख का अविभाजित एवं अभिन्न अंग है, तथा रहेगी, इस प्रलेख की फोटो प्रति जो कि कार्यालय रिकार्ड में रहेगी भविष्य में यदि अस्पष्ट एवं अपठनीय हो जावे तो इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी। यह प्रलेख कुल 67 पंक्तियों में लिखा गया है, जो बदुरुस्त है।

तिलोकाराम

कुरमाराम

35/67 16 10/08

हस्ताक्षर विक्रेतागण/निष्पादनकर्तागण

साक्षीगणः–

|1| रणवीरसिंह बिजारणियां पुत्र श्री बनवारीलाल उम्र 37 वर्ष पेशा काश्त जाति जाट निवासी बिजारणियोकी ढाणी तन सिगरावट।

|2| जयशिव डागुर पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद उम्र 26 वर्ष पेशा अध्यापन जाति जाट निवासी प्लाट सं. 14, 15, मेला ग्राउण्ड नगर, जिला भरतपुर।

इस दस्तावेज में......6......पृष्ठ है।
यह पृष्ठ सं......5......है।

सचिव
सरदार पटेल शैक्षणिक एवं ग्रामीण विकास संस्थान
जयपुर

उप-पंजीयक

500Rs

05 OCT

। 6 ।

यह स्टाम्प दस्तावेज विक्रय पत्र कीमती 86,000/- रूपयो के साथ बतौर स्टाम्प कमी पूर्ति संलग्न रहे ।

हस्ताक्षर विक्रेतागण/ निष्पादनकर्तागण

इस दस्तावेज में .....6..... पृष्ठ है।
यह पृष्ठ सं..........6.......... है।

उप-पंजीयक

22

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICI

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

A 137187

राजस्थान RAJASTHAN

|1|

|1| प्रलेख का प्रकार — विक्रय–पत्र।

|2| विक्रेतागण के नाम — कुंभाराम, त्रिलोकाराम पुत्रगण दानाराम उम्र 38, 36 वर्ष जाति जाट निवासीगण रामपुरा (लोसल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

|3| क्रेत्री संस्था का नाम — सरदार पटेल शैक्षणिक एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर जरिये सचिव अरविन्द भूकर पुत्र श्री बृजमोहन जाति जाट निवासी दीनारपुरा तहसील व जिला सीकर।

|4| विक्रयाधीन संपदा — वाके ग्राम लोसल की तन में अवस्थित भूमि ख. नं. 1626 रकबा

.........2.........

त्रिलोकाराम कुम्भाराम

इस दस्तावेज में......6......पृष्ठ है।
यह पृष्ठ सं............1..........है।

उप-पंजीयक
दांतारामगढ़

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN A 137188

|2|

2.46 है. में से शेष 2.12 है. भूमि में से 0.225 है. भूमि संपूर्ण का बेचान।

|5| विक्रय राशि — 71,000/— रूपये अक्षरे ही इक्हेत्तर हजार रूपये मात्र।

|6| मुद्रांक शुल्क — 4,600/—रूपये किता 6 दिनांकित 11/4/2007

|7| विशद् विवरण :—

जो कि वाके ग्राम लोसल की तन में अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 1626 रकबा 2.46 है. बा. तृ. में से 4/5 हिस्से की खातेदारी त्रिलोकाराम पुत्र दानाराम व 1/5 हिस्से की खातेदारी कुभाराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासीगण रामपुरा (लोसल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के नाम से दर्ज है, उक्त वर्णित 2.46 है. में से 0.34 है.

..........3......

त्रिलोकाराम कुम्भाराम

इस दस्तावेज में ....6.....पृष्ठ है।
यह पृष्ठ सं..........है।

उप-पंजियक
दांतारामगढ

24

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

137189

|3|

भूमि का बेचान पूर्व में हमारे द्वारा उक्त क्रेत्री संस्था सरदार पटेल शैक्षणिक एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को दिनांक 16/10/2006 को किया जा चुका है, जिसका विक्रय पत्र उप-पंजीयक दांतारामगढ के यहां पर पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 231 में पृष्ठ सं. 158 क्रम सं. 2658 पर पंजीकृत किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है, इस प्रकार उक्त वर्णित 2.46 है. भूमि में से शेष 2.12 है. भूमि के हम एक मात्र खातेदार व काश्तकार है, उक्त वर्णित हमारी खातेदारी शुदा भूमि हर प्रकार के ऋण-भार एवं दोष आदि से पूर्णतया मुक्त एवं पवित्र है, तथा नियमानुसार बेचान किये जाने में बाधा का कोई कारण नही है।

उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज है, परन्तु मौके पर कुछ अर्से से पूर्णतया दौ फसली चाही काश्त हो रही है, जिसकी सिचाई पास के अन्य ख. नं. में बने चाह से होती है, उक्त भूमि में सिचाई का कोई साधन नही है, उक्त वर्णित भूमि ग्राम आबादी से

......4......

इस दस्तावेज में ...6.... पृष्ठ है।
यह पृष्ठ सं......3...... है।

25

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN |4| A 137190

करीबन आधा– एक कि. मी. की दूरी पर व रामपुरा जाने वाली सडक के पास में अवस्थित है, इस भूमि के आसपास कोई औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षैत्र नही है. इसके आसपास की दो फसली चाही भूमि का बाजार मूल्य करीबन 3,10,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर के लगभग है।

उक्त वर्णित भूमि ख. नं. 1626 रकबा 2.46 है. बा. तृ. में से शेष 2.12 है. में से 0.225 है. भूमि जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति में बरंग सुर्ख, ब अक्षर क, ख, ग व घ से प्रदर्शित किया गया है, संपूर्ण को घरेलु कार्यवश अति आवश्यकता होने की वजह से बेचान करने का निश्चय कर मुताबिक निश्चय के 3,16,000/– रूपये प्रति हैक्टैयर दो फसली चाही भूमि के हिसाब से उक्त विक्रयाधीन 0.225 है. भूमि संपूर्ण को कुल मुबलिग 71,000/– रूपये अक्षरे ही इक्हेत्तर हजार रूपये मात्र की एवज में सरदार पटेल शैक्षणिक एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को बेचान कर दी है तथा बेचान की सम्पूर्ण राशि हम विक्रेतागण /निष्पादनकर्ता ने पूर्व में ही नगद प्राप्त कर ली है तथा विक्रीत

......5.....

26

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

2 राजस्थान RAJASTHAN 343797

|5|

भू-संपदा का कब्जा मौके पर क्रेत्री संस्था को ब जरिये सचिव अरविन्द भूखर के उक्तानुसार पूर्व में क्रय शुदा भूमि के सींवा जोड पश्चिम साईड में मालिकाना, काबिजाना संभला दिया है, तथा हमने हमारा कब्जा हटा लिया है, अब उक्त विक्रीत भू-संपदा से हमारा व हमारे वारिशानों आदि का कोई हक-हिस्सा, लेना-देना व वास्ता नहीं रहा है।

अब क्रेत्री संस्था उक्त वर्णित विक्रीत 0.225 है. भूमि जिसे सलग्न नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति में बरंग सुर्ख ब अक्षर क, ख, ग व घ से प्रदर्शित किया गया है, संपूर्ण को उक्तानुसार राजस्व-रिकार्ड आदि में अलग से बटा नम्बर डलवाकर अपने नाम से दर्ज करावें, स्वयं काश्त एवं उपयोग तथा उपभोग में लेवें, चाहे जिसके पक्ष में रहन एवं बेचान आदि करें, इसके लिए पूर्णतया सक्षम व अधिकारी है।

इस भूमि में आने- जाने के लिये एक रास्ता मौके पर उत्तरी सीमा के सहारे- सहारे 20 फुट चोडा मौजूद है, जिसे होकर क्रेत्री संस्था आ जा सकेगी यह रास्ता स्वयं विक्रेतागण व क्रेत्री संस्था का शामलाती रहेगा।

...6....

त्रिलोकाराम कुम्भाराम

5

27

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

11 MAR 2007

राजस्थान RAJASTHAN

|6|

D 871408

यह विक्रय–पत्र आज मैने अपनी पूर्ण सचेत अवस्था में बिना किसी नशे–पत्ते व बिना किसी नाजायज दबाव के स्वेच्छा पूर्वक स्टाम्प कीमती 4,600/– रूपयो पर लिपिबद्ध करा दिया है, जो सही व सत्य है, जो सनद एवं प्रमाणित रहे तथा वक्त जरूरत पर काम आवें।

नोटः– इस प्रलेख की फोटो प्रति जो कि कार्यालय रिकार्ड में रहेगी भविष्य में यदि अस्पष्ट एवं अपठनीय हो जावे तो इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी। यह प्रलेख कुल 76 पंक्तियों में लिखा गया है, जो बदुरूस्त है।

चिमनाराम कुम्भाराम

हस्ताक्षर विक्रेतागण/निष्पादनकर्तागण

साक्षीगणः–

|1| विक्रमसिंह शेखावत पुत्र श्री कल्याणसिंह उम्र 58 वर्ष पेशा कृषि जाति राजपूत निवासी भीराणा।

|2| गणेशराम ढाका पुत्र श्री सुखाराम उम्र 55 वर्ष पेशा कृषि जाति जाट निवासी अलखपुरा बोगन तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।

इस दस्तावेज में ......पृष्ठ है
यह पृष्ठ सं......है

36

न्यायालय प्राधिकृत व अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दांतारामगढ

क्रमांक / राजस्व / 07 /   दिनांक–

–:आदेश:–

नगर पालिका लोसल क्षैत्र में अवस्थित कृषि भूमि ख.न.1626 / 1 के खातेदार **सरदार पटेल शैक्षणिक एवं ग्रामीण विकास संस्थान ,जयपुर जरिये सचिव** अरविन्द भूकर द्वारा अपने खाते व कब्जे आराजी के खातेदारी अधिकारों का पर्यवसान कर उक्त भूमि को राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के अन्तर्गत राज्यहित में पुनः गृहित करने के अनुरोध करने पर , उक्त भूमि की रेकार्ड व मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार दांतारामगढ से ली गई जो पत्र क्रमांक 1158 / रीडर / दिनांक–07.06.07 द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है । जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्णित भूमि ख.न.1626 / 1 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी की उप धारा 03 के प्रावधानानुसार पुनः गृहित किये जाने योग्य है । उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति बाबत सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन क्षैत्रिय समाचार पत्र आस–पास संस्करण दिनाक – 12 जुलाई 07 को हो चुका है जिसके अनुसार आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि दिनाक 20.07.07 तक कोई भी आपत्ति इस न्यायालय में प्रस्तुत नही की गई है ।

अतःराजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ कस्बा लोसल तहसील दांतारामगढ में स्थित ख.न.1626 / 1 रकबा 0.56 है0 में प्रार्थी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त करके राजहित में पुनःगृहित किये जाते हैं।

भूमि राज्यहित में पुनः गृहीत होने के फलस्वरूप राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 80 क अन्तर्गत इस भूमि में नगरपालिका लोसल के अधिकार व स्वामित्व प्रादर्भूत होते हैं।

पुनःगृहीत की गई उक्त भूमि राज्य में सभी प्रभारो से मुक्त होकर राज्य में निहित रहेगी तथा वह इस अधिनियम की धारा 102 क अधीन स्थानीय प्राधिकारी के निपटान के लिए रखी हुई समझी जाऐगी । परन्तु उपधारा 3 के अधीन समर्पित की गई यह भूमि उसी व्यक्ति / संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी जिस प्रयोजन हेतु समर्पित की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

क्रमांक / राजस्व / 07 / 1506–09   दिनांक:– 28.7.07

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.माननीया जिला कलक्टर महो0 , सीकर ।
2.तहसीलदार,दांतारामगढ को प्रेषित कर लेख है कि समर्पित की गई भूमि का लगान कम करके नामान्तरकरण नगरपालिका , लोसल के नाम खोला जावे ।
3.अधिशाषी अधिकारी , नगर पालिका – लोसल ।
4.**सचिव सरदार पटेल शैक्षणिक एवं ग्रामीण विकास संस्थान , जयपुर ।**
5.रक्षी पत्रावली ।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ
दांतारामगढ